न्यायालयः — अमनदीप सिंह छाब<u>डा</u> न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

आप. प्रक. क.—176 / 2017 संस्थित दिनांक—25.04.2017 फ़ाईलिंग नं.—6602017

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक 23/03/2018 को घोषित)

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—341, 354, 323, 506 भाग—दो के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 07.04.2017 को समय 19:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत में प्रार्थिया कार्तिका कावरे का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित कर प्रार्थिया कार्तिका कावरे जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से बांया हाथ पकड़कर खींचतान कर आपराधिक बल का प्रयोग कर प्रार्थिया कार्तिका कावरे के हाथ में चोट कारित कर उसे स्वेच्छया साधारण उपहित कारित किया एवं प्रार्थिया कार्तिका कावरे को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक 08.04.17 को प्रार्थिया कार्तिका कावरे ने चौकी सालेटेकरी आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 07.04.17 को वह शाम को पानी का डब्बा लेकर करीब 07:00 बजे नाला तरफ बाहर जा रही थी, तभी कटंग के पास रोड किनारे गांव का तुमेन्द्र पंचेश्वर खड़ा था, जो उसे रोककर बोला नीचे चल तब उसने बोली

कि ऐसा क्यू बोल रहा है तो उसका बांया हाथ पकड़कर खींचतान करने लगा। उसके द्वारा बचाव—बचाव चिल्लाने पर सागर कावरे और मानसिंह कावरे आ गए, जिन्हें देखकर वह भाग गया और जाते—जाते बोला कि किसी को बताऐगी तो जान से मार देगा। खींचतान करने से उसके हाथ की चूड़ी फूट गई और खरोंच आई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर चौकी में अपराध सदर का मामला पंजीबद्ध कर थाना बिरसा में असल कायमी हेतु भेजी गई। विवेचना दौरान एफ.आई.आर., एम.एल.सी., घटनास्थल का मौका नक्शा, प्रार्थिया एवं गवाहों के कथन, जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र कमांक 49/17 दिनांक 15.04.17 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—341, 354, 323, 506 भाग—दो के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी कार्तिका कावरे ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—341, 323, 506 भाग—दो के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—354 भा.द.वि. के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेत् निम्नलिखित विचारणीय बिन्द् यह है कि:-

1.क्या आरोपी ने दिनांक उसने दिनांक 07.04.2017 को समय 19:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत में प्रार्थिया कार्तिका कावरे जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से बांया हाथ पकड़कर खींचतान कर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :--

05— परिवादी कार्तिका कावरे अ.सा.01 ने कथन किया हैं कि वह आरोपी को जानती है। घटना पिछले वर्ष मार्च 2017 की शाम के करीब 7:00 बजे ग्राम कटंगी की है। घटना के समय वह घर से शौच के लिये जा रही थी, तभी गांव के बाहर पुलिया के पास आरोपी मिला था। घटना के समय आरोपी तुमेन्द्र से उसका मौखिक विवाद हुआ था। फिर लोगों के कहने पर उसने घटना के अगले दिन आरोपी के विरूद्ध चौकी सालेटेकरी में शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेख की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस को उसने झगड़े वाली जगह बताई थी और पुलिस ने उसके बताये अनुसार मौका—नक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ जप्त नहीं किया था, परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.03 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

- परिवादी कार्तिका कावरे अ.सा.०१ से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 07.04.2017 की शाम 7:00 बजे जब वह घर से शौच के लिये नदी तरफ जा रही थी तो पुल के पहले आरोपी खड़ा था, जिसने सामने आकर उसे रोक लिया और कटंग झाड़ के नीचे चलने को बोला, उसके आपत्ति करने पर आरोपी उसका हाथ पकडकर खींच कर ले जाने लगा और उसके बचने की कोशिश पर उसके बांये हाथ की चूड़ियाँ टूटकर उसे चोट लगी, आरोपी उसे खींचते हुए कटहल के झाड़ के नीचे ले गया और वह चिल्लाती रही तभी सागर कांवरे और मानसिंह आ गये जिन्हें देखकर आरोपी ने उसे छोड दिया और धमकी दी कि उक्त बात किसी को बताने पर अथवा रिपोर्ट करने पर वह उसे जान से खत्म कर देगा, फिर घर आकर उसने पूरी बात अपने पति को बताई जिसने गांव के पटेल तथा अन्य लोगों से सलाह की जिन्होंने पुलिस में रिपोर्ट करने को कहा, रात्रि होने के कारण उसने अगले दिन अपने पति के साथ चौकी जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.04 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिये वह न्यायालय में असत्य कथन कर रही है।
- 07— परिवादी कार्तिका कावरे अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका केवल मौखिक विवाद

हुआ था, आरोपी द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई थी, उसका आरोपी के साथ समझौता हो गया है और वह उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।

- 08— साक्षी उत्तरा अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है, जो गांव रिश्ते में उसका भाई है। घटना पिछले वर्ष गर्मी के समय शाम करीब 7:00 बजे ग्राम कटंगी की है। घटना के समय उसकी पितन घर से शौच के लिये जा रही थी, जिसका रास्ते में आरोपी तुमेन्द्र से मौखिक विवाद हुआ था। फिर लोगों के कहने पर उन्होंने घटना के अगले दिन आरोपी के विरुद्ध चौकी सालेटेकरी में शिकायत की थी। पुलिस को उसने एवं उसकी पितन में झगड़े वाली जगह बताई थी और पुलिस ने उनके बताये अनुसार मौका—नक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ जप्त नहीं किया था, परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.03 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।
- 09— साक्षी उत्तरा अ.सा.02 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 07.04.2017 की शाम 7:00 बजे उसकी पिंत नाला तरफ शौच के लिये गई थी जो आधे घंटे बाद घबराई हालत में आई तथा उसके बांई हाथ में कलाई के पास खरोंच के निशान थे और बांई हाथ की दो चूड़ी टूटी हुई थी, पूछने पर उसकी पिंत ने बताया कि जाते समय उसे रास्ते में आरोपी ने रास्ता रोककर कटंग झाड़ के नीचे चलने का बोला और मना करने पर हाथ पकड़कर खींच कर ले गया, चींखने चिल्लाने पर सागर तथा मानसिंह के आने पर किसी को नहीं बताने और रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी देकर आरोपी भाग गया, गांव के लोगों से सलाह करने पर रिपोर्ट करने को बोला, जिसके पश्चात रात होने के कारण उन्होंने घटना के अगले दिन चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.05 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने इन

सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल से मेरून रंग की दो कांच की चूड़ी के पांच टुकड़े जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था, परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.03 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है, उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिये वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

- 10— साक्षी उत्तरा अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसकी पिन का केवल मौखिक विवाद हुआ था, आरोपी द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई थी, उनका आरोपी के साथ समझौता हो गया है और वह उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते है।
- 11— फिरियादी कार्तिका कावरे अ.सा.01 एवं साक्षी उत्तरा अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के समय प्रार्थिया कार्तिका कावरे का आरोपी के साथ केवल मौखिक विवाद हुआ था, उसके द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गयी थी और वह आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। फिरियादी कार्तिका कावरे अ.सा.01 घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी तुमेन्द्र पंचेश्वर ने घटना दिनांक 07.04.2017 को समय 07:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम किनया पटेल मोहल्ला में फिरियादी कार्तिका कावरे जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से बांया हाथ पकड़कर खींचतान कर आपराधिक बल का प्रयोग किया। अतः आरोपी तुमेन्द्र पंचेश्वर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—354 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 12- आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

- 13— प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 14— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कांच की चूड़ियों के टुकड़े मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

